

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू-अर्जन निदेशालय
पटना, बिहार
अधिघोषणा

27

पत्रांक - 2366/रा. 14/डी0एल0ए0 सारण (सिंचाई योजना)-41/2013 दिनांक - 25-09-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि कि ग्राम- ताजपुर थाना- मॉझी, थाना नं0-69 परागना- वाल, जिला- सारण, छपरा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अर्जन अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए ग्राम- ताजपुर, थाना- मॉझी, थाना नं0- 69 में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.32 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा नं0 निम्न प्रकार है-

अर्जनाधीन भूमि का खेसरा नं0- अर्जित अंश खेसरा सं0 3034,3035 तथा 3036

अर्जनाधीन भूमि की चौहदी


उत्तर - अर्जित खेसरा सं0 3036
दक्षिण- अर्जित अंश खेसरा सं0 3036
पूरब- अर्जित खेसरा सं0 3036
पश्चिम- अंश खेसरा सं0 3034 तथा 3035


भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, स्लेटो, या अन्य खान या खनिजों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खान या खनिजों की केवल वे भाग जिन्हे कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना या उपयोग में लाना हो तो ले लिए जाएँगे।

इस अधिघोषणा को भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 यथा संशोधित सन् 1984 की धारा 6 के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है। जिनका इससे संबंध है।

इस भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना छपरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


समाहता सारण


सरकार के अवर
सचिव बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या - 14/डी0 एल0 ए0 सारण (सिंचाई योजना)-41/2013 - 2366/श०

दि०-25-09-13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, सारण को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता, सारण को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6W
24/9/13
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।